

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द, (छ.ग.)

क्र. / 28/7 / विभागीय मान्यता / 2025  
प्रति,

महासमुन्द, दिनांक 18/06/2025

प्रबंधक / अध्यक्ष,  
प्रगति सेवा समिति सरायपाली,  
प्रतिभा पब्लिक स्कूल खटखटी बसना, वि.ख.- बसना,

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

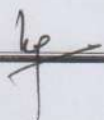
महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र का दिनांक 27/03/2025 के सन्दर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण करता की अनुशंसा उपरांत मैं प्रतिभा पब्लिक स्कूल खटखटी बसना, वि.ख. - बसना (विद्यालय का नाम एवं पता सहित) को कक्षा नर्सरी से बारहवीं (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिए सशर्त अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन होगी:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता होगी। जिसकी शर्तें निम्नानुसार होगी:-

- मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जाएगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी स्कूल कोई भी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे का या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वही अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि :-
  - (एक) प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में फेल या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - (दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
  - (तीन) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने अपेक्षा नहीं की जाएगी।
  - (चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (पांच) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
  - (छः) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी।
  - (सात) अध्यापकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा।
  - (आठ) प्राइवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
  - (नौ) भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्निधियों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।
  - (दस) विद्यालय प्रबंधन को शासन की ओर से समय-समय पर जारी कोविड-19 संबंधी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।



8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।  
 9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों एवं सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

|                                            |   |               |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| स्कूल परिसर का क्षेत्रफल                   | - | 0.67 हेक्टेयर |
| कुल निर्मित क्षेत्रफल                      | - | 19500 वर्गफीट |
| खेल मैदान का क्षेत्रफल                     | - | हॉ            |
| अध्यापन कक्षाओं की संख्या                  | - | 26            |
| प्रधान पाठक सह कार्यालय सह भंडार हेतु कक्ष | - | 04            |
| बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक प्रसाधन     | - | हॉ            |
| पेयजल सुविधा                               | - | हॉ            |
| मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर               | - |               |
| बाधा रहित प्रवेश सुविधा                    | - |               |

- पठन-पाठन सामग्री/खेलकूद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता
- विद्यालय परिसर के भीतर व उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
  - विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
  - विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
  - विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
  - विद्यालय की लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
  - आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड नम्बर 04/23 एवं डाईस (DISE) कोड नम्बर 22122808102 है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
  - विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों को पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
  - सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
  - संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्तें
    - शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ही विद्यालय में अध्यापन एवं पाठ्य पुस्तकें मान्य होंगी तथा भवन व अन्य सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
    - कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2(ख) एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।
    - कक्षा नवमी से बारहवीं के लिए हाईस्कूल एवं हॉयर सेकेंडरी परीक्षा हेतु छ.ग.मा.शिक्षा मंडल रायपुर/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से सम्बद्धता/मान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।

पृ.क्र./2818 / विभागीय मान्यता / 2025  
 प्रतिलिपि:-

- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुन्द/बागबाहरा/पिथौरा/बसना/सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18/06/25  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 महासमुन्द, छ.ग.

महासमुन्द, दिनांक 18/06/2025

18/06/25  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 महासमुन्द, छ.ग.